पत्र सं0– वि.प्रा. (III) यो.–58 / 2016–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/ पटना, दिनांक

विषय– विभागान्तर्गत जमुई अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई के स्थायी नये परिसर में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 500 KVA HTS-1 विद्युत संबद्धता एवं मीटर के अधिष्ठापन के लिए पर्यवेक्षण शुल्क एवं जी.एस.टी. सहित कुल रू. 6,59,000=00 (छः लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, जमुई अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई के पत्रांक–75, दिनांक 07.8.2019 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जमुई द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर डिपोजिट वर्क अन्तर्गत संस्थान के स्थायी नये परिसर में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 500 KVA HTS-1 विद्युत संबद्धता एवं मीटर के अधिष्ठापन के लिए पर्यवेक्षण शुल्क एवं जी.एस.टी. सहित कुल रू. 6,59,000=00 (छः लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष– 105–इंजीनियरिंग / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102–पोलिटेकनिक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43–4202021050102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी राजकीय कोषागार, जमुई से की जायेगी तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 / वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन इसी संचिका के पृ. 20 / टि. पर प्राप्त है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह. / –

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰–58/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰–58/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰–58/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, जमुई अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई को उनके पत्रांक–75, दिनांक 07.8.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰–58/2016– 3300 /पटना, दिनांक– 23/9/019

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.9.19

सरकार के उप सचिव